# उद्यमियों से वसूली तो क्या, कोई चंदा भी नहीं मांगता

## सीएम योगी बोले- प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर कोई उंगली नहीं उठा सकता

■ उद्योगों को 232 करोड़ की प्रोत्साहन राशि बांटी

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उद्यमियों व व्यापारियों के साथ किसी को विश्वासघात करने की छूट नहीं दी जाएगी। यह केवल यूपी में ही संभव है कि व्यापारी व उद्यमी से वसूली तो दूर, कोई चंदा भी नहीं मांगता। प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर कोई उंगली नहीं उठा सकता क्योंकि कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है।

मुख्यमंत्री ने ये बातें 102 उद्यमी मित्रों को नियुक्ति पत्र और उद्यमियों को 232 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि के वितरण मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहीं। लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स यूके, आईआईएम लखनऊ, आईआईएम इंदौर, बीएचयू, ट्रिपल आईआईटी और एनआईटी जैसे संस्थानों से पढ़कर निकले 1500 युवाओं ने उद्यमी मित्र के लिए आवेदन किया था। इनमें से 87 पुरुष और 15 महिलाओं को चुना गया। योगी ने कहा कि उद्यमी मित्र अगले तीन साल निवेश के मकसद को सफल बनाएंगे। हर माह उनके कार्यों का मूल्यांकन होगा। तीन वर्ष बाद जो भी औद्योगिक विभागों में स्थायी नौकरी का इच्छुक होगा, उसे उम्र में छूट के साथ स्पेशल वेटेज दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने 102 उद्यमी मित्रों को नियुक्ति पत्र बांटा। -अमर उजाला

### अकुशल युवा को जोड़े इंडस्ट्री, सरकार देगी पैसा

मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से कहा कि आवश्यकतानुसार स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रदेश के युवा को जोड़ें। सीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत अकुशल मैनपावर पर रखने और उनकी ट्रेनिंग करवाने पर आधा पैसा राज्य सरकार देगी। अगले एक वर्ष के अंदर साढ़े 7 लाख नौजवानों को इसके साथ जोड़ने का लक्ष्य है।

>> संबंधित पेज 4 पर